उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–10/2023–24

कपिलदेव मंडल वगै0

बनाम्

इनोद राउत

–: आदेश :–

दिनांक 20/2/24

उत्तरवादी के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षीय सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता कपिलदेव मंडल, पे0–स्व0 वासुदेव मंडल वो सदानंद मंडल वो महेश मंडल, पे0–स्व0 राम प्रसाद मंडल, सा0–कानाडीह, थाना–गोड्डा नगर, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्तागण ने अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केस नं0–31/2014–15 के आदेश दिनांकः–16.01.2023, जिसके द्वारा अपीलकर्त्ता को मौजा कानाडीह नं0–512, 514 के जमाबंदी सं0–32, दाग नं0–25 रकवा 00–08–01 धुर एवं दाग नं0–27 रकवा 00–01–03 धुर जमीन से संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत्त उच्छेद किया गया है, के विरूद्ध दायर किया है।

अपीलकर्त्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा कानाडीह के जमाबंदी सं0–32 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मु0 भोलवी रौताइन जौजे हिरंगी राउत के नाम से दर्ज है। उसमें से दाग नं0–25 रकवा 00–08–01 धुर किस्म बाड़ी ऑवल एवं दाग नं0–27 रकवा 00–01–03 धुर किस्म मकान मय सहन मु0 भोलवी रौताइन के नाम से दर्ज है। चूँकि मु0 भोलवी रौताइन गत सर्वे सेटलमेंट के पूर्व ही निसंतान फौत कर गयी थी। ऐसी स्थिति में उत्तरवादी प्रथम पक्ष का यह दावा है कि वे गत जमाबंदी रैयत मु0 भोलवी रौताइन के पोता है, बिल्कुल ही ग़लत एवं निराधार है। क्योंकि उत्तरवादी प्रथम पक्ष इनोद राउत ने वर्ष 1991 में जमाबंदी रैयत मु0 भोलवी रैताइन के पुत्र घोलटन राउत से पोष्यपुत्र लिये जाने का दावा किया गया है। उक्त पोष्यपुत्र दस्तावेज सं0 48, दिनांकः–11.11.1991 से भी यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1991 में लेख्यकारी घोलटन राउत का उम्र 55 वर्ष दिखाया गया है, जबकि मु0 भोलवी रौताइन 1932 ई0 के

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केस सं0–31/2014–15 में दिनांकः–16.01.2023 के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

21/12/24

Digitally signed by Anjali Yadav
Date: 2025.09.19 11:31:24 +05:30
Location: 192.168.1.33